

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर

पत्रांक - 1271/R.T.I./2018

दिनांक 27 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु नगर निगम, शाहजहाँपुर में तैनात अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 तथा धारा 19 में किये गये प्राविधान के अनुसार सहायक जनसूचना अधिकारी/जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी (जनसूचना पदाधिकारी) के रूप में निम्नवत् तैनात किया जाता है:-

1-	संयुक्त नगर आयुक्त	प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी
2-	कर निर्धारण अधिकारी	जनसूचना अधिकारी
3-	प्रभारी कर अधीक्षक	सहायक जनसूचना अधिकारी
4-	लेखाधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी
✓5-	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक जनसूचना अधिकारी
6-	सहायक अभियन्ता (ट्रैफिक)	सहायक जनसूचना अधिकारी
7-	सहायक अभियन्ता (जल)	सहायक जनसूचना अधिकारी
8-	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	सहायक जनसूचना अधिकारी
9-	प्रभारी मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	सहायक जनसूचना अधिकारी

उक्त समस्त अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि अपने अपने विभागों से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर से समयबद्ध निस्तारण कराना सुनिश्चित करें तथा समस्त पटल लिपिकों/पटल सहायकों को आदेशित किया जाता है कि अपने अपने सहायक जनसूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रतिलिपि समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

27.8.18
नगर आयुक्त,
नगर निगम, शाहजहाँपुर